न्यायालय – सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री अरूण कुमार अग्रवाल-1,
R.J.S. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या	-	1006/2022
एफ.आई.आर.सं.	-	52/2022
पुलिस थाना	-	दानपुर, जिला बांसवाडा
अपराध अन्तर्गत धारा	-	308,325/34,भा.द.सं.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा		439, दण्ड प्रक्रिया संहिता

1- बालाराम ऊर्फ बलदेव पुत्र भाणजी, उम्र 20 वर्ष, निवासी गागरवा, पुलिस थाना दानपुर, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2- विकास पुत्र वलजी, उम्र 19 वर्ष, निवासी गागरवा, पुलिस थाना दानपुर, जिला बांसवाड़ा (राज.)

– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बांसवाड़ा (राज.)

- अप्रार्थी

उपस्थित :

अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह : अभियुक्तगण की ओर से।

लोक अभियोजक श्री गिरिश डांगर : राज्य की ओर से ।

आदेश **दिनांक 29.11.2022**

1- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बालाराम ऊर्फ बलदेव पुत्र भाणजी एवं विकास पुत्र वलजी की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437,द.प्र.सं. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 14.11.2022 को खारिज किए जाने पर उसकी ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439, द.प्र.सं. के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.02.2022 को परिवादी केशु ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 01.02.2022 को शाम करीब 8.00 बजे उसका भाई कैलाश, मन्सु के घर नौतरे में गया हुआ था। दिनांक 02.02.2022 को सुबह उसकी काकी ने उसे बताया कि कैलाश के साथ लोगों ने मारपीट की जिसे रात में अस्पताल ले गए थे। प्रार्थी कैलाश के पास गया जहां उसे बताया कि नोतरे वाले घर में विकास व बलदेव ने उसके साथ अन्य लोगों के साथ मिलकर मारपीट की तथा बलदेव ने उसे चाकू से पेट व सीने पर वार किये तथा बीच बचाव करने में उसके हाथ की ऊंगली कट गई..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर थाना दानपुर द्वारा एफ.आई.आर. सं. 52/2022 अन्तर्गत धारा 308,325/34, भारतीय दण्ड

संहिता दर्ज कर अनुसंधान के दौरान अभियुक्त को दिनांक 11.11.2022 को गिरफ्तार किया गया।

3- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण में झूठा अन्तर्वलित किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 11.11.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगेगा। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गरीब होकर अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाले सदस्य हैं। अभिरक्षा में रहने से उनके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।अत: प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

4- विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5- मामले में प्रस्तुत केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।प्रार्थीगण/आहतगण द्वारा आहत केशु के साथ चाकू व अन्य से निर्ममतापूर्वक मारपीट की गई है जिस कारण उसके पेट पर भी चोट आना बताया गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट में उसके शरीर पर आई चोटों के कारण उसका वर्तमान में महाराणा भूपाल हॉस्पिटल उदयपुर में इलाजरत होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों-परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आहत के आई चोटों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6- फलत: प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बालाराम ऊर्फ बलदेव पुत्र भाणजी एवं विकास पुत्र वलजी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439, द.प्र.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा

7-आदेश आज दिनांक 29.11.2022 को लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा